संख्या:1318/XXIV-3/17/02(165)2005

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण, चमोली के भवन निर्माण कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–5ख(2)/19160/रा0गा0न0वि0/2017–18 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 242/XXIV–3/16/02(165)2005, दिनांकः 21 मार्च, 2016 द्वारा औचित्यपूर्ण लागत रूपये 2093.10 लाख(1961.88 लाख सिविल निर्माण कार्यो हेतु तथा रूपये 131.22 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के उल्लिखित कार्यो हेतु) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत रूपये 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किये जाने के उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में **रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

2–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(6) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः........

(10) उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए समस्त कार्यों को समयबद्व रूप से समयसारिणी बनाते हुए निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए भवनों को विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलबं या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर वित्त विभाग द्वारा विचार नही किया जायेगा।

(11) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हों।

(12) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(13) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त की एक प्रति राज्य योजना आयोग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान सं0 11– आयोजनागत के अधीन 4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा–00–16–राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का भवन निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक: 30 जून, 2017 में प्रदत्त निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव(प्रभारी)।

पृष्ठांकन संख्या: 1318 /XXIV-3/17/02(165)2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– जिलाधिकारी,चमोली उत्तराखण्ड।
4– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5– कोषाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
6– मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली,उत्तराखण्ड।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9 प्राचार्य, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण , चमोली, उत्तराखण्ड।
10– सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।